

फर्द अहकाम
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर
(जोधपुर ग्रामीण)

इन्द्रो देवी पत्नी चिमाराम

बनाम

फतेहसिंह पुत्र स्वरूपसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा - 212 राज. काश्तकारी अधि. 1955

(मुकदमा नम्बर /2024)

(सन् 2024)

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई
23.02.2024	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हनवन्तसिंह द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त प्रकरण को आवश्यक प्रकृति का बताते हुए विवादग्रस्त भूमि पर अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी अधिवक्ता को अन्तरिम आदेश हेतु उनकी एकपक्षीय बहस को सुना गया। पत्रावली के सलंगन राजस्व रेकॉर्ड व दस्तावेजों का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। अप्रार्थीगण भूमि का पर जबरदस्ती कब्जा एवं निर्माण कार्य करने पर उतारू है जिससे रोका नहीं गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी। उक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के हिस्से में प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगणों को आगामी पेशी तारीख 26.03.2024 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाता है एवं अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि विवादित भूमि मौजा ग्राम जवाहरनगर पटवार हल्का केतुमदा तहसील सेखाला जिला जोधपुर ग्रामीण के खसरा नम्बर 1164/3 रकबा 1.1331 हैक्टेयर की भूमि पर अप्रार्थीगण निर्माण कार्य एवं कब्जा नहीं करें। उक्त खसरे में चल रहे किसी भी प्रकार के रास्ते को उभयपक्ष अवरुद्ध नहीं करें। आगामी पेशी तक मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 07 सीपीसी का पेश किया गया है जिससे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार मौका स्थिति की रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर पेश करें। उक्त स्थगन आदेश आगामी पेशी तक मान्य होगा। प्रार्थी अधिवक्ता अप्रार्थीगणों को स्थगन नोटिस जरिये रजिस्टर ए.डी. से प्रेषित करें।</p> <p>पत्रावली दिनांक 26.03.2024 को पेश हों।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
बालेसर

